प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 1983/2025

1 – अरविंद कुमार पिता स्वर्गीय रामगोपाल,29 वर्ष निवासी स्मृति भवन सिरी, ग्राम सिरी, तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर–चांपा छत्तीसगढ़

2 – प्रमोद कुमार पिता नोहर लाल,31 वर्ष,निवासी पुरानी बस्ती, वार्ड संख्या 07, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटपारा छत्तीसगढ़

3 – किशन पिता तुलश राम, 30 वर्ष , निवासी गाँव तथा बाद में बरपिताला (बड़ा), बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार–भाटपारा छत्तीसगढ़

4–श्रद्धा साहू पिता अजय साहू, 26 वर्ष, निवासी शीतलपारा, वार्ड संख्या 21, गोबरा नवापारा, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़

5 – स्वाती पिता धनंजय कुमार, 30 वर्ष निवासी मकान संख्या 499 हसदा संख्या–1, अमलिडिया, धमतरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़

6 - गरिमा चंद्रकर पिता रजनीश कुमार चंद्रकर, 27 वर्ष निवासी क्वार्टर नंबर 4–ए/स्ट्रीट–23 पिताक्टर–10, भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

7–नितेश कुमार साहू पिता दिगंबर साहू, 29 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 05, अर्धनारीश्वर चौक रामपुर, पो रामपुर उप जिला कर्ताला, जिला कोरबा छत्तीसगढ़

8 – अभिनव चंद्रवंशी पिता सी. आर. चंद्रवंशी, 27 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 57, कटुल रोड, शिव मंदिर निवासी पास, पिताफ लाइन भिलाई, दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

9 – वैभवी पिता गोपाल सिंह ,26 वर्ष , निवासी वार्ड संख्या 56, आंगन बाड़ी, साई नगर, बघेरा, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

10 – रोशनी साहू पिता दीपक साहू लगभग 29 वर्ष, निवासी 11–डी, स्ट्रीट 29, सेक्टर–5, वार्ड संख्या 45, सिविक सेंटर, भिलाई, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

11 – हीना ध्रुवी पिता गंगा प्रसाद ध्रुवी, 24 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 4 ढाधुतोला राजनंदगांव, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़

12 – हर्षित शुक्ला पिता अनिल कुमार शुक्ला, 24 वर्ष , निवासी अरिहंत ऊंचाई खंडेलवाल कॉलोनी दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

13 – दिव्या वर्मा पिता रेखराम वर्मा, 29 वर्ष, निवासी बस्ती कंडिका पहाड़ दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14 – निवासीव राठौर पिता धनेश राठौर 24 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 10 नया बारद्वार जिला जांगीर चंपा छत्तीसगढ़

15 – सुरजीत सिंह कंवर पिता धीरपाल सिंह, 24 वर्ष, निवासी पांडनिया जिला कोरबा छत्तीसगढ़ निवासी निवासी हैं

16 – उर्वशी भगत पिता रवींद्र भगत लगभग 25 वर्ष निवासी उनजिला

17 – अंकिता नाग पिता दशकदम नाग, 27 वर्ष , निवासी क्वार्टर नंबर 114 ए जोन 1 चरोदा भिलाई 3 दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

18 – मानसी वर्मा पति खोबसंद वर्मा की आयु लगभग 25 वर्ष घर संख्या 7 स्ट्रीट 2 मन्नाक्षी नगर दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

19 – विकास चौहान पिता धरम सिंह चौहान, 28 वर्ष, निवासी सिविल लाइन वार्ड संख्या 5 धरमजयगढ़ रायगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़

20–तरुण जोशी पिता दानेश्वर जोशी 34 वर्ष निवासी आशीष नगर (पूर्व) रिसाली दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ताओं

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 – छत्तीसगढ़ राज्य अपने सचिव के माध्यम से, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय अटल नगर, नई रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग)

2 – मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अभियंता इंद्रावती भवन नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़

3 – सी. जी. व्यावसायिक परिक्षण बोर्ड व्यापम भवन नोरह ब्लॉक सेक्टर 19 अटल नगर नई रायपुर (छ.ग)

---उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका सेवा सं. 2012/2025</u>

1 – धगेन्द्र कुमार साहू पिता श्री सालिक राम साहू 33 वर्ष, निवासी घर संख्या–87/1, शीतलापारा भुरकोनी, वार्ड सं.-05, गाँव–भुरकोनी, भुरकोनी, जिला–महासमुंद, छत्तीसगढ़

2 – सौरभ विश्वकर्मा पिता सुरेंद्र विश्वकर्मा, 33 वर्ष, निवासी ब्रह्म रोड, संगम चौक, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा, छत्तीसगढ़

3–गिरीश कुमार चंद्रवंशी पिता रामशरण चंद्रवंशी, 32 वर्ष, निवासी अटल चौक, भरेली, करहट्टा, बोडला, जिला–कवर्धा, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा इंजीनियरिंग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

2 –प्रमुख अभियंता सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा इंजीनियरिंग विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

3 – अधीक्षण अभियंता (प्रशासन) तथा विभाग चयन समिति के अध्यक्ष, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य तथा अभियांत्रिकी विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

4 – निदेशक रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशालय, इंद्रावती भवन, पहली मंजिल, चौथा ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

5 – छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परिक्षण बोर्ड (सी. जी. व्यापम) व्यापमं भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेकोट–19, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संबंधित याचिकाकर्ताओं हेतु :––श्री अजय श्रीवास्तव, श्री जी. पी. माथुर तथा सुश्री.प्रतिभा साहू, अधिवक्ता

राज्य हेतु :––श्री शशांक ठाकुर, उप महाधिवक्ता

सी. जी. व्यापम हेतु :––श्री अविनाश सिंह, अधिवक्ता

हस्तक्षेपकर्ता हेतु :––श्री उत्तम पांडे तथा श्री भरत शर्मा,अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री बिभू दत्ता गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश के अनुसार

03/07/2025

1.सुना गया है।चूँकि इन दोनों रिट याचिकाओं में विधि और तथ्यों का एक ही प्रश्न शामिल है,अतः इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है और इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया जा रहा है।

2. रिट याचिका संख्या 1983/2025 में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना की है:---

"(क) यह कि, माननीय न्यायालय कृपया यह निर्णय देने की कृपा करे कि छत्तीसगढ़ लोक यांत्रिकी (अराजपत्रित) भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2016 (अनुलग्नक पी/1) की अनुसूची-III क्रमांक 1, स्तंभ क्रमांक 5 को इस सीमा तक अति-अनिवार्य घोषित किया जाए कि यह निर्धारित योग्यता के रूप में केवल डिप्लोमा प्रदान करता है और न्याय के हित में उप अभियंता (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) की भर्ती में इंजीनियरिंग स्नातक को भाग लेने से रोकता है।

(ख) यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी प्राधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करे कि वे नियम 2016 की अनुसूची-III क्रम संख्या I कॉलम संख्या 5 में निर्धारित योग्यता के स्थान पर न्यूनतम योग्यता का उल्लेख करें तथा न्याय के हित में विज्ञापन (अनुलग्नक पी-2) को रद्द किया जाए।

(ग) कोई अन्य अनुतोष जो मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में उपयुक्त हो, भी दी जा सकती है।"

3. याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका संख्या 2012/2025 में निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना की है:---

" 10.1 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया एक उपयुक्त रिट जारी करने की कृपा करेगा, यह घोषित करने के लिए कि छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2016 (अनुलग्नक पी-1) के नियम 8 (II) [अनुसूचित-III (एसआई. क्रमांक 1 उप-अभियंता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) का कॉलम (5)] दिनांक 30 दिसंबर 2016 को छत्तीसगढ़ राज पत्र अधिसूचना में प्रकाशित अल्ट्रा वायर्स/अधिकारातीत है।

10.2 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया एक उपयुक्त रिट जारी करने और उत्तरवादी क्रमांक 1 को निर्देश देने की कृपा करे कि वह छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2016 के नियम 8 (II) [अनुसूचित-III (एसआई. क्रमांक 1 उप-इंजीनियर (सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) का कॉलम (5)] में डिप्लोमा की योग्यता के साथ-साथ "इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री" को भी एक आवश्यक योग्यता के रूप में शामिल करे।

10.3 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी प्राधिकारियों को निर्देश देवे कि वे इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को उप-इंजीनियर पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देंवे।

10.4 माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी को याचिका की लागत की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश देने की कृपा करें।

10.5 याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अन्य अनुतोष जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित और उपयुक्त समझे"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. (क) याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि वे इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री रखने वाले इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो उत्तरवादी- छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग द्वारा 27.04.2025 को आयोजित होने वाली उप-इंजीनियर (सिविल) / उप अभियंता (मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल) के पद के लिए सीधी भर्ती परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, जिसका विज्ञापन 07.03.2025 को दिया गया था (अनुलग्नक पी / 2 से डब्ल्यूपीएस संख्या 1983/2025)।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे सिविल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप-अभियंता की भर्ती के लिए सेवा शर्तें "छत्तीसगढ़ लोक यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) (भर्ती एवं सेवा शर्तें), नियम 2016 (संक्षेप में, 2016 के नियम)" नामक नियमों द्वारा शासित होती हैं।अनुसूची-III क्रमांक 1 कॉलम क्रमांक 5 के अनुसार, उप अभियंता (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा है।

(ख) उपरोक्त खण्ड अनुसूची-II क्रमांक 1 एवं 2 कॉलम क्रमांक 8 के विपरीत है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि डिप्लोमा/डिग्री धारक दोनों ही 5% कोटे के लिए उप अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं, लेकिन सीधी भर्ती के लिए केवल डिप्लोमा धारक को ही अनुमति दी गई है और उच्च योग्यता वाले डिग्री धारकों को उप अभियंता के पद के लिए भाग लेने से निहित रूप से वंचित किया गया है जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन है, क्योंकि उच्च योग्यता भर्ती के लिए बाधक नहीं है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ग) उक्त विसंगति 'न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता' (न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता) के स्थान पर 'वी टी शैक्षिणिक योग्यता' (निर्धारित शैक्षणिक योग्यता) का उल्लेख करने के कारण है।विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त नियम 2016 के अनुसार उप अभियंता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) के पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें प्रावधान था कि छत्तीसगढ़ राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित शाखा में तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। उपरोक्त प्रावधान के कारण विज्ञापन में केवल डिप्लोमाधारी को ही अनुमति दी गई है, जबकि पूर्व नियम 2012 में भी ऐसा ही प्रावधान था, परंतु उस समय जारी विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा अंकित किया गया था, जिसके कारण इंजीनियरिंग स्नातकों की उच्च योग्यता पर रोक नहीं लगाई गई थी।विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि लोक निर्माण विभाग जैसे अन्य विभागों में उप-अभियंता के पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें डिप्लोमा और डिग्री धारकों दोनों को भाग लेने की अनुमति है।सीएसपीडीसीएल का भी ऐसा ही विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें भी डिप्लोमा और डिग्री धारकों दोनों को न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा बताकर अनुमति दी गई थी।

(घ) विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री डिप्लोमा से अधिक है, और इसलिए यह उप-अभियंता की परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्यता नहीं हो सकती है।इस प्रकार, अनुसूची-III क्रम संख्या 1, स्तंभ संख्या 5, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बजाय केवल डिप्लोमा को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्रदान करता है,

समान और उच्च योग्यता प्राप्त इंजीनियरिंग स्नातकों को वंचित करता है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि डिग्री धारक याचिकाकर्ताओं के पास भागीदारी के लिए बेहतर मामला है।इस प्रकार, याचिकाकर्ता प्रार्थना करेंगे कि अनुसूची-III के नियम-8 (II) कॉलम (5) यानी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 30/12/2016 में प्रकाशित नियम 2016 के क्रम संख्या 1 उप-इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) को अल्ट्रा-वायर्स/अधिकारातीत घोषित किया जाए।इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, **विद्वान अधिवक्ता पुनीत शर्मा एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं अन्य, (2021) 16 एससीसी 340 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया,** जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया था कि वह डिग्री धारकों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे और आगे भाग लेने वाले डिग्री धारकों सहित सभी आवेदकों की उम्मीदवारी की प्रक्रिया करे।

5. (i) राज्य के पूर्व-विरोधी पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियम 2016 के अधिनियमित होने के पूर्व नियम 1979 प्रभावशील थे तथा नियम 1979 में उप-अभियंता के पद पर भर्ती के लिए भी समान योग्यता का प्रावधान था, तत्पश्चात छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2012 के नाम से नियम बनाए गए तथा दिनांक 25.08.2012 के राजपत्र में प्रकाशित किए गए।नियम 2012 की अनुसूची III में उप-अभियंता के पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वही थी (अर्थात 03 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा)।उन्होंने आगे कहा कि नियम 2016 बनाए गए थे और वर्तमान में उक्त नियम लागू हैं तथा नियम 2016 में भी विभाग में उप-अभियंता के पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।नियम, 2016 की अनुसूची □□ के अनुसार, उप-अभियंताओं के 100% पदों में से 95% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं, जबकि 5% पद सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, सेवारत उम्मीदवारों के ये 5% पद विभाग में कार्यरत ट्रेसर और सहायक ड्राफ्ट्समैन के हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक ड्राफ्ट्समैन के पद पर नियुक्त किया गया है।हालाँकि, अपनी सेवा के दौरान उन्होंने डिप्लोमा और एएमआईई जैसी उच्च डिग्रियाँ प्राप्त की हैं जो इंजीनियरिंग डिग्री के समकक्ष हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुसूची II, क्रम संख्या 1, खंड संख्या 8 में विशिष्ट प्रावधान किया गया है कि जहाँ तक विभागीय उम्मीदवारों के लिए 5% कोटा का संबंध है, डिप्लोमा/डिग्री धारक पदोन्नति के लिए पात्र हैं और उक्त प्रावधान को बनाए रखने में कोई अवैधता नहीं है और याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के समक्ष यह प्रदर्शित करने का गलत प्रयास किया है कि भेदभाव किया जा रहा है।अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने अंकिता ठाकुर एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1472 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों **और सुश्री दुर्गावती बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य (डब्ल्यूपीएस संख्या 4292/2019, 14/06/2023 को तय) और भीम बली यादव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं**

अन्य (डब्ल्यूपीएस संख्या 1496/2022, 07/02/2025 को निर्धारित) के मामलों में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया।

6.उत्तरवादी सीजी व्यापमं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने इसके विरुद्ध किसी अनुतोष का दावा नहीं किया है और उक्त उत्तरवादी केवल मौजूदा नियमों और सरकार के संबंधित विभागों द्वारा भेजे गए अधियाचन के आधार पर भर्ती अभिकरण है।

7.हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क का समर्थन किया और उन्हीं तथ्यों और आधारों को दोहराया।

8. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और तर्क का अवलोकन किया है लेकिन आज तक उत्तरवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की परिवाद/अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की है, केवल उत्तरवादी संख्या 9 को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए।सुविधा के लिए, नियम 8 का उद्धृत करना उचित होगा।

(II); अनुसूची-III के उप-अभियंता (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) की विषय-वस्तु का प्रासंगिक भाग; अनुसूची-II और विज्ञापन का सुसंगत भाग उद्धृत करना उचित होगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियम-8"नियम 8.सीधी भर्ती हेतु पात्रता की शर्तें।---चयन हेतु पात्र होने के लिए, उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

(I) XXXXXXXXXXXXXXXX

(II) शैक्षणिक योग्यताएँ।- उम्मीदवार के पास अनुसूची-□□ के कॉलम (5) में दर्शाई गई सेवा के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएँ होनी चाहिए। XX XXXX XXXX XXXX

अनुसूची-**III**

S. No.	Name of Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
None Gazetted State Wide Cadre (Class-III Executive)					
1.	Sub-Engineer (Civil/Mechanical /Electrical	18 years	30 years	Three years diploma in Civil/Mechanical/Electrical Engineering from any institute recognized by the State Government	Relaxation in age limit shall be given to the members of Scheduled Castes./ Scheduled Tribes/Other Backward Classes (Non-creamy layer/ Women/ Ex-servicement according to Rule 8

अनुसूची-**II**

						chief,- Chairman (ii) Executive Engineer- Member (S.T.) (iii) Executive Engineer- Member (S.C.) (iv) Executive Engineer- Member (General)	Technical (Executive) Diploma/Degree Holder Employee working in different posts.
1	Sub-Engineer (Civil)	406	95%	5%	-	(1) Superintending Engineer nominated by Engineer-in-	5% posts shall be filled in by promotion from

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विज्ञापन

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) क्रमांक 175/स्था./प्र.अ./ लो.स्वा.यां.वि./2025 संक्षिप्त विज्ञापन अटल नगर, दिनांक 15.01.2025 छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 2-1/2024/34-1 दिनांक 26.09.2024 से वित्त विभाग का जावक क्रमांक 1210/सी.एन बजट-2/वित्त/चार/2024, दिनांक 20.09.2024 द्वारा राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी उप अभियंता (सिविल) के 118 पद एवं उप अभियंता (वि/यां) के 10 पद को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु अनुमति प्राप्त है। उक्त पदों को सीधी भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से ऑनलाईन आवदेन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, अटल नगर, नवा रायपुर के वेबसाईट पर आमंत्रित किये जाते है, परीक्षा संबंधित जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापम की Website पर उपलब्ध रहेगी।

पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	विहित शैक्षणिक योग्यता
उप अभियंता (सिविल)	लेवल-8, वेतन 35400-112400	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	118	राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजिनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।
उप अभियंता (यि/यां)	लेवल-8, वेतन 35400-112400	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	10	राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

10. उपर्युक्त प्रावधानों की प्रकृति और जटिलता से यह स्पष्ट है कि अपेक्षित ज्ञान और तकनीकी कौशल में बेहतर डिग्री धारकों को बाहर करना न केवल अनुचित है, बल्कि पद के लिए योग्य व्यक्तियों की भर्ती के उद्देश्य के लिए भी प्रतिकूल है।यह मनमाना प्रतिबंध निष्पक्षता और समान अवसर के सिद्धांतों को कमजोर करता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का भी स्पष्ट उल्लंघन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है कि राज्य के अन्य विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग और सीएसपीडीसीएल में उप-अभियंता के पद के लिए पात्रता मानदंड डिप्लोमा और डिग्री धारक दोनों को अनुमति देता है।इस प्रकार, लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में उप-अभियंता के पद पर भर्ती के लिए डिग्री धारकों को बाहर रखने का राज्य का कार्य भेदभावपूर्ण है।

12. शायरा बानो बनाम भारत संघऔर अन्य, महिला मंत्रालय, (2017) 9 एससीसी 1 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कियदि कोई विधि स्पष्ट रूप से मनमाना है, तो उसे रद्द किया जा सकता है, और यह स्पष्ट मनमानापन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भी कानून को अस्वीकार करने का आधार है। उक्त निर्णय का कंडिका 101 इस प्रकार है:---

"101. यह ध्यान देने योग्य है कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स (बॉम्बे) (प्रा.) लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा था कि यह स्थापित विधि है कि अधीनस्थ विधान को पूर्ण विधान के विरुद्ध चुनौती के लिए उपलब्ध किसी भी आधार पर चुनौती दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती के इस आधार के संबंध में दोनों प्रकार के विधानों के बीच कोई तर्कसंगत अंतर नहीं है।इसलिए, जैसा कि पूर्वोक्त निर्णयों में निर्धारित किया गया है, प्रकट मनमानी का परीक्षण अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अमान्य विधान के साथ-साथ अधीनस्थ विधान पर भी लागू होगा। अतः, प्रकट मनमानी विधायिका द्वारा स्वेच्छाचारितापूर्वक, तर्कहीनतापूर्वक और/या पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत के बिना किया गया कार्य होना चाहिए।इसके अतिरिक्त, जब कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो अत्यधिक और अनुपातहीन हो, तो ऐसा विधान स्पष्ट रूप से मनमाना होगा।इसलिए, हमारा विचार है कि जैसा कि हमने ऊपर बताया है, स्पष्ट मनमानी के अर्थ में मनमानी अनुच्छेद 14 के तहत कानून को नकारने पर भी लागू होगी। "

13. यह सामान्य कानून है कि राज्य द्वारा किया गया कोई भी वर्गीकरण स्पष्ट अंतर के आधार पर किया जाता है और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।यह भी सुस्थापित है कि किसी भी पात्रता मानदंड का पदों की कार्यात्मक भर्ती, निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और उन कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक योग्यताओं के साथ उचित सहसंबंध होना चाहिए।

14. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए तथा उपरोक्त कारणों से, राजपत्र अधिसूचना दिनांक 30/12/2016 में प्रकाशित नियम 2016 की अनुसूची-III, क्रम संख्या 1 उप-अभियंता (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) के नियम 8 (II) कॉलम (5) को अवैध, अधिकार क्षेत्र से बाहर तथा अधिकार-बाह्य घोषित किया जाता है।

15. इस समय, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि जब 25/03/2025 को इस न्यायालय के समक्ष मामले सूचीबद्ध किए गए थे, तो संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया था कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 01/04/2025 थी और इसलिए, वे इस आशय की अंतरिम सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते है कि याचिकाकर्ताओं, जो डिग्री धारक हैं, को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए।पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों की उचित सराहना करने पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किए:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि सी.जी.व्यापम के पोर्टल में ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 01.04.2025 को शाम 5 बजे तक है, प्रतिवादी क्रमांक 1/राज्य को प्रतिवादी- सी.जी.व्यापम, जिसे परीक्षा आयोजित करनी है, को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि वे अपने ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों/प्रतिभागियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल में आवश्यक परिवर्तन/संशोधन करें और याचिकाकर्ताओं को अपने फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल में जमा करने की स्वतंत्रता है, हालांकि, उनकी भागीदारी वर्तमान याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश उनके विरुद्ध होगा न कि व्यक्तिगत रूप से तथा यह इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले सभी समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों पर लागू होगा, इस शर्त के अधीन कि वे अन्य अपेक्षित मानदण्डों को पूरा करते हों, जैसा कि संबंधित विज्ञापन में प्रतिवादी विभाग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।"

16. चूंकि, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार, इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया है, और इस न्यायालय ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 30/12/2016 में प्रकाशित नियम 2016 की अनुसूची-III, क्रम संख्या 1 उप-इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) के नियम 8 (II) कॉलम (5) को अल्ट्रा वायर्स/अधिकारातीत घोषित किया है, उत्तरवादी के अधिकारियों को आगे की चयन प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया जाता है, इस शर्त के अधीन कि उम्मीदवार अन्य अपेक्षित मानदंडों को पूरा करते हैं जैसा कि विज्ञापन में उत्तरवादी के विभाग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।17. परिणामस्वरूप, दोनों रिट याचिकाओं को स्वीकृति दी जाती है।

सही/-

(रमेश सिन्हा)

मुख्य न्यायाधीश

सही/-

(बिभू दत्त गुरु)

मुख्य न्यायाधीश

हेड नोट :

किसी भी पात्रता मानदंड का पदों की कार्यात्मक भर्ती, निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और उन कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक योग्यताओं के साथ उचित सहसंबंध होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur